

Office of the Executive Engineer National Highways, PWD Dhumakot Uttarakhand
Fax No. 01368-222319 Email-nhpwddhumakot@gmail.com

पत्रांक – 888/वन भूमि
सेवा में,

दिनांक – 12/10/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
कोटद्वार/लैन्सडाउन वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय:- कोटद्वार-सतपुली-ज्वाल्पा-पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 534 (119) के किमी0 139.00 से किमी0 196.00 कोटद्वार-सतपुली (सैक्शन दुगड्डा से सतपुली 156.900 से किमी0 196.000 तक) में प्रयुक्त वन भूमि प्रस्ताव पर लगी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है वन भूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित है।


क्र०सं०	आपत्तियां	निराकरण/उत्तर
1	The area proposed for CA has already proposed in the proposal FP/UK/ROAD/45296/2020.State government is requested to submit the clarification in this regard and do this needful.	विषयगत मोटर मार्ग के वन प्रस्ताव में कुल व्यर्पतन क्षेत्र 32.553 है0 हैं इस प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पौड़ी द्वारा 65.106 हैं0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि पुनः दे दी गई हैं अतः FP/UK/ROAD/45296/2020. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि इस प्रस्ताव से भिन्न हैं।
2	Scan of the hardcopy of digital map have been submitted which is not legible. It is requested to upload the digital map and SOI top sheet with better resolution. The digital map shall also be authenticated by the DFO.	पुनः स्कैन कर संलग्न की जा रही है।
3	On the perusal of the proposal the earlier sanctioned width of the road through forest area (if any) is not evident. State govt. is requested to provide the details of FCA sanction of the existing road along with the information of the approved width so to determine the forest land required for the present proposal.	इस खण्ड द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन की प्रति पार्ट-1 के Additional information detail में Financial Sanction के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
4	Details of the black top area, carriageway and row of the existing road shall be submitted.	इस खण्ड द्वारा of black top area, carriageway and RoW से सम्बन्धित वांछित अभिलेख संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्नक-2)
5	A detailed drawing of the layout of the proposed road consisting of existing black top area, carriage way & Row and the additional requirements of the same shall be submitted.	इस खण्ड द्वारा of black top area, carriageway and RoW से सम्बन्धित वांछित अभिलेख संलग्न किये जा रहे हैं। (संलग्नक-2)
6	Justification of the proposed width shall be submitted and it shall be ensured that the proposed width is as per the norms for such roads provided by morth.	विषयगत मोटर मार्ग की डिजाईन IRC 52 एवं SP 73 के अनुसार किया गया है जो कि MORTH की गाईड लाईन के अनुसार है। (संलग्नक-4)

7	State govt. is requested to submit a comparative chart of the width i.e. black top area. Carriageway and row of char Dham strategic road. Char Dham non-strategic road and road proposed in this proposal.	प्रस्तावित मोटर मार्ग चारधाम की पहुंच के लिये एक वैकल्पिक मार्ग है जो कि मेरठ-लैन्सडौन एवं चार्इना सीमा को जोड़ती है। इस हेतु TCS का डिजाइन strategic रोड के अनुसार किया गया है जिसे बिन्दु संख्या-2 में संलग्न किया गया है।
8	Muck disposal sites are not marked in the KML file. State government is requested to mark the location of the muck dumping sites on KML file.	बिन्दु संख्या-8 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा मलवा निस्तारक स्थल को के0एम0एल0 फाईल एवं डिजिटल मानचित्र में ऑन लाईन पार्ट-। के पैरा C के (b) में प्रदर्शित कर दिया गया है।
9	Details of muck dumping sites are not mentioned in the component wise breakup at para B 2.4 in part I, which is required to be done.	बिन्दु संख्या-9 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड में मलवा निस्तारक स्थल को पार्ट-। के पैरा B के 2.4 में प्रदर्शित कर दिया गया है।
10	As per land schedule, out of 42.076 ha area, 18.609 ha area is selected for muck dumping which appears on higher side. Stare government is requested to explore non forest land for the dumping of muck	बिन्दु संख्या-10 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा मलवा निस्तारक स्थल को प्रस्तावित मोटर मार्ग पर भिन्न भिन्न स्थलों जो कि सिविल सोयम भूमि हैं में किया गया है जिससे निस्तारण हुआ मलवा को डाला जा सके चूंकि प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 40 कि0मी0 हैं अतः इसी वजह से मलवा निस्तारण का कुल क्षेत्रफल 18.706 हैं। इसका विवरण संलग्न किया जा रहा है।
11	Document uploaded at para F (ii)(a) shall be uploaded again.	बिन्दु संख्या-11 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा पैरा F (ii)(a) में तकनीकी खराबी की वजह से उक्त दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहा है जिसे Additinal Information details में भी ऑन लाईन अपलोड भी किये गये हैं।
12	Name of many village that are mentioned in the proceeding of village level committee (VLC) meeting are not found uploaded at para B. 2.3 i.e. village wise breakup and name of villages mentioned in para B. 2.3 are not found in VLC meeting proceeding. Stare govt. is requested to clarify this discrepancy.	बिन्दु संख्या 12 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा पार्ट-। के पैरा B के 2.3 में वह ग्राम दर्शाये गये हैं जिनमें वन भूमि अधिग्रहण हो रही है। साथ ही यह स्पष्ट करना है कि 01 राजस्व ग्राम 03 से 04 गांव को मिलकर बनाया जाता है जिसके कारण पैरा B 2.3 तथा VLC में भिन्नता आई है। VLC से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पार्ट । के पैरा K के (a) में तथा Additinal Information details में भी ऑन लाईन अपलोड भी किये गये हैं।
13	Density of the proposed forest land is mentioned as 0.3 appears very less considering the fact that 8745 trees are affected in 42.076 ha. Hence, the density of the proposed area shall be reviewed.	आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से किया जाना अपेक्षित है।
14	CA scheme uploaded online at para 13 in part II is not clear. Stste govt. is requested to upload legible copy of the same.	बिन्दु संख्या-14 के क्रम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा पैरा F (ii)(a) में तकनीकी खराबी की वजह से उक्त दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहा है इस आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से किया जाना अपेक्षित है।

15	In the CA scheme the area proposed for diversion is mentioned as 43.498 ha as against the 42.076 ha area proposed for diversion. State govt. is requested to clarify this discrepancy.	बिन्दु संख्या-15 के कम में अवगत करना है कि इस खण्ड द्वारा वन प्रस्ताव का ऑनलाइन अपलोड 43.498 हे० से किया गया था। परन्तु बाद में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पौड़ी के निर्देशानुसार वन विभाग के अधिकारियों के साथ पुन सयुक्त निरीक्षण में वन क्षेत्र 42.076 पाया गया एवं वन प्रस्ताव को भी पार्ट 1 में 43.498 हे० की जगह 42.076 कर दीया गया है। परन्तु क्षतिपुरक वृक्षारोपण के लिए आवेदन पूर्व में 43.498 हे० के लिये कर दीया गया था। और इसी वजह से क्षतिपुरक वृक्षारोपण भूमि 87 हे० प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा पौड़ी द्वारा दी गई हैं।
16	CA scheme, KML file and other CA documents mention the CA area to be 87 ha against the required area of 84.152 ha. State government is requested to provide clarification in this regard	आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से किया जाना अपेक्षित है।
17	Geologist report and work not start certificate is not found uploaded, which is required to be uploaded.	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट एवं कार्य ना प्रारम्भ करने का पत्र Additinal Information details में भी ऑन लाईन अपलोड भी किये गये हैं।
18	Detailed muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites, carrying capacity of the muck dumping sites, photographs of the muck dumping sites along with the reclamation plan duly approved by the DFO shall be submitted.	बिन्दु सं०-18 के कम में अवगत करना है कि चाही गई मलवा निस्तारण योजना एवं अन्य दस्तावेजों में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त ऑनलाइन प्रस्ताव को स्वीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 04 प्रतियों में।


 (इं नवनीत पाण्डेय)
 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 धुमाकोट-पौड़ी